कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/यो–I/5551/बी.एफ.सी/2017–18/24 दिनांकः–09/05/17

निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त जिले।
प्रधानाचार्य, समस्त डाईट।
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।

विषयः– केन्द्रीय सहायता प्राप्त बजट मदों के अन्तर्गत आवंटित बजट के पूर्ण उपयोग बाबत।
संदर्भः– इस कार्यालय का पूर्व समसंख्यक पत्रांक 14 एवं 15 दिनांक 27.04.17

जैसा कि विदित है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार द्वारा बजट मद अन्तर्गत आयोजना व आयोजना भिन्न की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि की व्यवस्था को शुरू किया गया है। विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को बजट मदों में केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि में बजट का आवंटन वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु किया जा चुका है। व्यय की समीक्षा उपरान्त यह दृष्टिगत हो रहा है कि कई अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त बजट मदों में या तो राज्य निधि अन्तर्गत सम्पूर्ण आवंटित राशि का आहरण किया जा रहा है या केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत, जो कि बजट के सही उपयोग को नहीं दर्शाता है। इसके अलावा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बजट के उपयोग के संबंध में जानकारी भी चाही जा रही है अतः बजट के पूर्ण एवं सही उपयोग बाबत निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–

1. केन्द्रीय सहायता प्राप्त बजट मदों में आवंटित बजट का उपयोग 60:40 (केन्द्रीय सहायता : राज्य निधि) के अनुपात में राशि का आहरण पे–मैनेजर पर बिल बनाते समय किया जावे।
2. पे–मैनेजर पर एक बजट मद अन्तर्गत एक ही बिल बनाया जावे और बजट मद अन्तर्गत यदि राशि केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि दोनों प्रकार से आवंटित है तो बिल को कोषालय अग्रेषित करने से पूर्व उपलब्ध विकल्प में कुल बिल राशि का 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता एवं 40 प्रतिशत राज्य निधि अन्तर्गत दर्शायें।
3. केन्द्रीय सहायता के बिलों में मांग संख्या का सही अंकन करें अन्यथा बिल कोषालय अग्रेषित नहीं हो पायेगा।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं संलग्न तालिका में प्रदर्शित है।

प्रायः यह भी देखने में आता है कि कार्यालयों द्वारा बजट का उपयोग वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में किया जाता है जो कि व्यय की गलत प्रवृति को दर्शाता है। वित्त विभाग द्वारा उक्त कृत्य को गंभीरता से लिया जाता है और आवंटित राशि की तुलना में व्यय कम होने के कारण राशि प्रत्याहारित भी कर ली जाती है। इस बाबत कई बार निर्देश भी प्रदान किये जाने के बावजूद भी कार्यालयों द्वारा बजट का उपयोग नहीं किया जाता है जो कि अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को दर्शाता है। अतः बजट के पूर्ण व समयानुसार उपयोग करना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

वित्तीय सलाहकार
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः– अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित है।

लेखाधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	योजना	मांग संख्या	लेखामद	केन्द्रीय सहायता 60 प्रतिशत एवं राज्य निधि 40 प्रतिशत संबंधी विस्तृत मद
01	डाईट सामान्य	24	2202–80–003–03–00	01, 03, 04, 29, 40
02	डाईट टीएसपी	30	2202–80–796–03–00	
03	डाईट एसीएसपी	51	2202–80–789–01–00	
04	एसआईईआरटी	24	2202–80–004–01–00	18, 29, 40
05	सर्व शिक्षा अभियान सामान्य	24	2202–01–111–01–00	01
06	सर्व शिक्षा अभियान टीएसपी	30	2202–01–111–03–00	
07	सर्व शिक्षा अभियान एससीएसपी	51	2202–01–111–02–00	

वित्तीय सलाहकार
निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर